

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0244

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

13.02.13

तारीख 13.02.13 से 24.04.13 तक

अनुमंडल- पटना सिटी

जिला - पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०.....

30

/2013-2014

हल्का सं० 03

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
वारे में
टिप्पणी
तारीख सहित

2/13

श्री/श्री मती सुरेन्द्र राय वा विनय राय
पिता/पति श्री/श्री मती विनय राय स्व० जयदीप राय
ग्राम पत्तापुर पो० अलाकपुर थाना गौरीपुर
जिला पटना ने केवाला सं० 166 दिनांक 05.01.11 के

आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकवा(ए.-डि में)	लगान
<u>पत्तापुर</u>	<u>64</u>	<u>58</u>	<u>606</u>	<u>0-04 1/2</u>	<u>0.52</u>

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 20.02.13 को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

4/02/13

3/03/13

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।

हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता / प्रावरकर्ता / पूर्व विकेता / दानकर्ता श्रीमती विप्रिया देवी जौर स्व० धरमराज के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,भू-दान,भू-हदबंदी एवं सैरात से मुक्त है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं महल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/04/13

को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

महेश 6/13

P.T.O

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं० 03 दाखिल खारिज बाद सं० 30 / 2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

04/13

4.10.13

अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विकेता/पबरदाता/भूर्व विकेता) को निर्गत खास नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं है चूंकि नोटिस तामिला कराने गए अनुसेवी/चौकिदार ने प्रतिवेदित काया है कि नोटिस वनाम जमाबन्दी रैयत से मुलाकात नहीं हुआ परंतु महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की रही दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापिते एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।